न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 143/2021

श्रीराम पुत्र रतिराम, जाति गुर्जर निवासी कुठानियां तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिंघाना, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना
उनवानी सरकार बनाम श्रीराम अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 46/2021 निर्णय दिनांक 24.08.2021

उपस्थितिः—

1 श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट ---- ------ ---अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट--------------रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 25.04.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.8.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीराम मु0नं0 46/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—पटवारी हल्का मोई सद्दा ने एक रिपार्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कुठानियां की राजकीय भूमि गैर मु0 नाला के खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर में से रकबा 0.1920 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी श्रीराम पुत्र श्री रतिराम जाति गुर्जर निवासी कुठानियां ने अवैध रूप से ग्वार फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया और प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश तथा बतौर शास्ति 500 रूपये जुर्माना कायम किया गया। अपीलांट दिनांक 13.8.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्[illegible] न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मौका फसल ग्वार काश्त [illegible] भू—अभिलेख [illegible] को मौके पर खड़ी फसल को जब्त करने हेतु लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसील[illegible] सिंघाना ने बिना ज[illegible] एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:33:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये प्रार्थी को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। दिनांक 13.8.2021 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में यह अंकन किया है कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मौका पर खड़ी गवार की फसल को जब्त करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया था। भू–अभिलेख निरीक्षण की फसल कुर्क करने बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल की गई हो ऐसा आदेशिका में अंकन नहीं है, उसके बाद बिना रिपोर्ट आये ही एवं प्रार्थी अपीलांट को बिना सुने ही दिनांक 24.8.2021 को उक्त आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 23.9.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में पटवारी हल्का मोई सददा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरा नंबर 348 गै.मु. नाला पर अतिक्रमण कर फसल बुआई को निलामी करने हेतु मौके पर पंहुचकर निलामी कार्यवाही की गई। उक्त रिपोर्ट को पढने से यह प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट पूर्व से तैयार की गई है, केवल खाली स्थान बाद में भरे गये हैं। मौके पर कोई निलामी नहीं हुई है। उक्त सारी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में अपने कार्यालय में की गई है। उक्त रिपोर्ट पर प्रार्थी के कोई हस्ताक्षर नहीं है ना ही मौका बेदखली रिपोर्ट दिनांक 14.10.2021 पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। निलामी की कार्यवाही में शामिल व्यक्ति कैलाश पुत्र सोहन एवं विजय सिंह व सुनिल पुत्र भादरराम धानक थे जो स्वयं ने उक्त गै.मु. नाला भूमि खसरा नंबर 348 पर अतिक्रमण कर रखा है। भूमि खसरा नंब 348 गै.मु. नाला के सटकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 337, 349, 350, 351 स्थित है। प्रार्थी का गै0मु0 नाला खसरा नंबर 348 पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अदालत नायब तहसीलदार सिंघाना का निर्णय दिनांक 24.8.2021 को निरस्त फरमाया जावे व अपीलांट को वादग्रस्त कृषि भूमि के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं किया जावे एवं प्रार्थी अपीलांट को पुनः सुनवाई हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मौका फसल ग्वार काश्त को भू–अभिलेख निरीक्षण को मौका पर खड़ी फसल को जब्त करने हेतु लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिंघाना ने बिना जांच किये एवं बिना मौका [illegible] तैयार किये प्रार्थी को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी [illegible] 8.2021 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में यह अंकन किया है कि पटवारी रिपो[illegible] अनुसार मौका पर खड़ी गवार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:33:25 IST
Reason: SelfAttested

फसल को जब्त करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया था। भू–अभिलेख्या निरीक्षण की फसल कुर्क करने बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल की गई हो ऐसा आदेशिका में अंकन नहीं है, उसके बाद बिना रिपोर्ट आये ही एवं प्रार्थी अपीलांट को बिना सुने ही दिनांक 24.8.2021 को उक्त आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 23.9.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में पटवारी हल्का मोई सददा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरा नंबर 348 गै.मु. नाला पर अतिक्रमण कर फसल बुआई को निलामी करने हेतु मौके पर पंहुचकर निलामी कार्यवाही की गई। उक्त रिपोर्ट को पढने से यह प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट पूर्व से तैयार की गई है, केवल खाली स्थान बाद में भरे गये हैं। मौके पर कोई निलामी नहीं हुई है। उक्त सारी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में अपने कार्यालय में की गई है। उक्त रिपोर्ट पर प्रार्थी के कोई हस्ताक्षर नहीं है ना ही मौका बेदखली रिपोर्ट दिनांक 14.10.2021 पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। निलामी की कार्यवाही में शामिल व्यक्ति कैलाश पुत्र सोहन एवं विजय सिंह व सुनिल पुत्र भादरराम धानक थे जो स्वयं ने उक्त गै.मु. नाला भूमि खसरा नंबर 348 पर अतिक्रमण कर रखा है। भूमि खसरा नंब 348 गै.मु. नाला के सटकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 337, 349, 350, 351 स्थित है। प्रार्थी का गै0मु0 नाला खसरा नंबर 348 पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अदालत नायब तहसीलदार सिंघाना का निर्णय दिनांक 24.8.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम कुठानियां की राजकीय राजकीय भूमि गै0मु0नाला खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर में से रकबा 0.1920 हैक्टर भूमि पर अवैध रूप से फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम कुठानियां की राजकीय राजकीय भूमि गै0 मु0 नाला खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर में से रकबा 0.1920 हैक्टर भूमि पर अवैध रूप से फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर सुना गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि गै0मु0 नाला खसरा [illegible]8 रकबा 1.00 हैक्टर में से रकबा 0.1920 हैक्टर भूमि पर उसका कब्जा वै[illegible] की किस्म गै0मु0 नाला है जो नियमन की श्रेणी में नहीं आती। पत्रावली के अ[illegible]कन से अधीनस्थ न्यायालय नायब

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:33:25 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिंघाना के निर्णय दिनांक 24.8.2021 की पालना में अपीलांट को दिनांक 14.10.2021 को बेदखल किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट में कोई सारभूत तथ्य नजर नहीं आते। इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.8.2021 उनवानी सरकार बनाम श्रीराम मु0नं0 46/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:33:25 IST
Reason: SelfAttested